<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2025 राजस्व अपील

1. भोमा पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी कालाखों तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

(<u>अपील विरूद्व तहसीलदार बहरावण्डा निर्णय दिनांक 10.04.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भोमा मु. नं. 72/2019 अ. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति : श्री गोविन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

<u>:— निर्णय :—</u> दिनांकः 23.05.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का कालाखो द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम कालाखो के आराजी खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. किस्म चरागाह भूमि पर सम्वत 2075 में लोहे की थडी लगाकर अपीलान्ट भोमा पुत्र भौरीलाल जाति मीना निवासी कालाखों तहसील बहरावण्डा जिला दौसा ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रार्थी अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट को उक्त नोटिस की व्यक्तिगत जानकारी नहीं हुई ना ही तामील हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित कर अपीलान्ट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर व लगान दर्ज कर 50 गुना शास्ति के जुर्माने की सजा आरोपित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का का पूर्ण अवसर नहीं देकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और भविष्य में भी अपीलान्ट किसी प्रकार से रास्ता व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर किस प्रकार से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है। पटवारी हल्का ने मनमर्जी से ही अपने कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार से अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थीकर्ता का ग्राम कालाखो अम्बाडी में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 पर कोई कब्जा नहीं है। यदि किसी प्रकार का कोई कब्जा होगा तो उसको अपीलान्ट ने हटा लिया एवं अपीलान्ट भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:39 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. पर लोहे की थडी बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व 50 गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 10.04.2019 पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. पर लोहे की थडी बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत अतिक्रमण शुदा भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा शपथ्य पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. ग्राम कालाखो अम्बाडी पर कोई कब्जा नही है। भविष्य में किसी प्रकार का कोई नहीं कब्जा करूंगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम कालाखो तहसील बहरावण्डा स्थित गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1125/1159 रकबा 0.20 है. किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार अतिक्रमण हटा लिया जाना तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.04.2019 में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। बेदखली व पेनल्टी के सम्बन्ध में पारित शेष आदेश यथावत रहेगा। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डार द्वारा सत्यापित नहीं किये जाने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2019 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:03:39 IST
Reason: SelfAttested